



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 31, 2019/भाद्र 9, 1941

No. 501]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 31, 2019/BHADRA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2019

सं. 39/2019-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 616(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 सितंबर, 2019 को उस तारीख के रूप में जिसको उक्त अधिनियम की धारा 103 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

[फा.सं. 20/06/12/2018-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2019

No. 39/2019 – Central Tax

G.S.R. 616(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Finance (No. 2) Act, 2019 (23 of 2019), the Central Government hereby appoints the 1st day of September, 2019, as the date on which the provisions of section 103 of the said Act, shall come into force.

[F. No. 20/06/12/2018-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.